FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 103/2025 (2025/264

वादी   प्रतिवादी

भावेश सुथार   बनाम   राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी/झंवर

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी भावेश सुथार पुत्र अर्जुनराम सुथार निवासी सी 1/304 वडौद श्री कृष्णा इन्कलेव वडोद सूरत (गुजरात) हाल निवासी जोधपुर के पिता अर्जुनराम पुत्र रूपाराम जाति सुथार निवासी बारा खुर्द तहसील औसिया जोधपुर का गैर रूपान्तरित भूखण्ड चक नंबर 69-ए खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 53/4 रकबा 7 बीघा ग्राम मोगड़ा कला तहसील लूणी जोधपुर में आई हुई। उपरोक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि थी। जिसमें वर्तमान में खसरा नम्बर 53/4 में प्रार्थी व अन्य के साथ नाम दर्ज है। अर्जुनराम की मृत्यु की दिनांक 21.04.2008 को हो जाने के बाद उनके वारिसान के नाम जमाबन्दी में दर्ज किये जिसमे प्रार्थी का नाम गलत एवं त्रुटि से भगाराम इन्द्राज कर दिया गया जो लिपीकीय त्रुटि है जिसे शुद्व किया जाना आवश्यक है अर्थात खसरा नम्बर 53/4 में दर्ज है उसे शुद्व किया जाकर भावेश सुथार दर्ज किया जाना है। तथा नाम की प्रविष्टि अशुद्व कर दी गई जिसके कारण अनावश्यक विवाद होने की संभावना है। ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 53/4 में भुखण्ड संख्या 69-ए के जमाबन्दी में भगाराम के स्थान पर भावेश सुथार का नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.) लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/3034 दिनांक 07.10.2025 ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मोगड़ा कलां के ख.सं. 53/4 रकबा 0.7798 हैक्ट में भगाराम पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 65/1927 जाति सुथार सा. बाराखुर्द खातेदार सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त नाम भगाराम पुत्र अर्जुनराम जाति सुथार इन्द्राज जरिये नामा. सं. 1386 विरासत के हुआ है। बयान गवाह रिपोर्ट के सलंग्न है। भगाराम पुत्र अर्जुनराम के स्थान पर भावेश सुथार पुत्र अर्जुनराम शुद्व दर्ज किया जाना उचित बताया है। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, इत्यादि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 53/4 में प्रार्थी का नाम भगाराम पुत्र अर्जुनराम के स्थान पर भावेश सुथार उर्फ भगाराम पुत्र अर्जुनराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	